कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 2812 /बदायूँ/29427/2017, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 07 , 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
बरेली वृत्त,
बरेली।

विषयः बदायूँ–कादरचौक गंगापुर मार्ग किमी0 चैनेज 0.765 के बायीं पटरी पर ग्राम–शेखूपुर के गाटा सं0–282 पर इंडियन ऑयल कार्पो लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.049748 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक–3330/14–1, दिनांक 23.03.2018

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जों निम्न प्रकार हैं :–

1– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न प्राक्कलन सुसंगत नहीं है। 100 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण व अनुमानित बृद्धि का समावेश करते हुए संशोधित वृक्षारोपण का प्राक्कलन ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

2– उक्त बिन्दु के क्रम में वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का डिजिटल मैप, के0एफ0एल0 फाईल, स्थल चिन्हित टोपोशीट व उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भी संशोधित कर, ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

3– परियोजना में किसी वृक्ष का पातन निहित नहीं है। ऑनलाइन पार्ट–2 में अंकित वानस्पतिक घनत्व अधिक आंकलित प्रतीत होता है। पुनः समीक्षा कर ऑनलाइन पार्ट–2 में अंकित वानस्पतिक घनत्व को संशोधित करने का कष्ट करें तथा ऑनलाइन पार्ट–2 की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

4– पृष्ठ–23 पर संलग्न एन0पी0वी0 के गणना–पत्र के शीर्षक में **वनभूमि का मूल्य का आंकलन** अंकित है, जिसे संशोधित कराने का कष्ट करें। उपरोक्त बिन्दु–3 के क्रम में एन0पी0वी0 की गणना को भी संशोधित कर, ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

5– प्रस्ताव के पृष्ठ–31 पर संलग्न अभिलेख का आशय स्पष्ट नहीं हैं। प्रभागीय निदेशक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करें, कि परियोजना में 0.049748 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त परियोजना में चिन्हित वन स्वरूप की कोई भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा ऑनलाइन व आफलाईन सूचनायें पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

7/4

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2812 / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा ऑनलाइन व आफलाईन सूचनायें पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, बरेली को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रबन्धक, (रिटेल सेल्स), इंडियन ऑयल कार्पो0 लि0, मुरादाबाद मण्डल, कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, पो0–पाकबड़ा, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3/4

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Q